रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2005/अग्रहायण 3, 1927
No. 478] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2005/AGRAHAYANA 3, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2005

सा.का.नि. 686(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 185 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (छ) और खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्यांक सा0का0नि0 123, तारीख 27 फरवरी, 1988 द्वारा भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 70 के अधीन स्थापित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, अभिप्रेत है ,

(ङ) "अन्य सदस्य" से किसी पूर्णकालिक सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषिक नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं ।

3. **प्राधिकरण का गठन :-** (1) अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) और धारा 73 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) अध्यक्ष

(ख) सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक)

(ग) सदस्य (ग्रिड आपरेशन और वितरण)

(घ) सदस्य (हाइड्रो)

(ङ) सदस्य (योजना)

(च) सदस्य (विद्युत प्रणाली)

(छ) सदस्य (तापीय)

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य इन नियमों में अधिकथित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए या तो प्रतिनियुक्ति आधार पर या अल्पकालिक संविदा आधार पर आदेश द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

4. **सदस्यों की पात्रता और कालावधि :-** (1) कोई व्यक्ति प्राधिकरण के किसी सदस्य जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित को धारण नहीं किया हो—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम पांच वर्ष के लिए नियमित आधार पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान में मुख्य इंजीनियर का पद या समतुल्य या उच्चतर पद या वेतनमान ;

या

कम से कम पांच वर्ष के लिए नियमित आधार पर किसी राज्य विद्युत बोर्ड या किसी अर्द्धसरकारी संगठन या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वशासी निकाय या किसी कानूनी निकाय या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी भारतीय प्रबंध संस्थान के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित किसी पद के समतुल्य पद ; और

(ख) सुसंगत क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्र का अनुभव रखता हो ;

स्पष्टीकरण –इस उप नियम के प्रयोजन के लिए "सुसंगत क्षेत्र" पद से अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) में यथा परिभाषित सुसंगत क्षेत्र अभिप्रेत है :

परंतु यह कि जब भी किसी सदस्य के पद या उसकी किसी रिक्ति को भरा जाना अपेक्षित हो, तब विशेषज्ञता का क्षेत्र या शाखा अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) के अधीन सूचीबद्ध प्रवर्गों में से विनिश्चित की जाएगी ।

(2) अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य सामान्यतः पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा :

परंतु यह कि जहां उपनियम (2) में यथा उपबंधित किसी सदस्य की विहित पदावधि उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व समाप्त हो जाती है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी सदस्य की पदावधि को केन्द्रीय सरकार में उसकी अधिवर्षिता की तारीख से अनधिक की अवधि के लिए और विस्तारित कर सकेगी ।

(3) कोई व्यक्ति प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह—

(क) प्राधिकरण की तीन लगातार बैठकों से प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है ; या

(ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने पर संबंधित राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य उधारदाता प्राधिकरण में सेवा समाप्त हो जाती है ; या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है, सिद्ध दोष ठहरा दिया गया है या कारावास से दंडादिष्ट कर दिया गया है ; या

(घ) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है ।

5. **त्यागपत्र** :- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और उस सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त समझा जाएगा ।

(2) प्राधिकरण का सदस्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा और उस सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त समझा जाएगा ।

6. **सदस्यों, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है के वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन** (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव की हैसियत का उपभोग करेगा और भारत सरकार के सचिव को यथा उपलब्ध वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा ।

(2) प्राधिकरण का कोई सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव की हैसियत का उपभोग करेगा और भारत सरकार के अपर सचिव को यथा उपलब्ध वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत छुट्टी, छुट्टी वेतन, छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रसुविधाएं आदि का हक भी है, वे होंगी जो तत्सम हैसियत के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू हैं ।

(4) अध्यक्ष और सदस्य (सदस्यों) के संबंध में पेंशन और छुट्टी वेतन अभिदाय, यदि वे प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके नियमों के अनुसार संबंधित उधारदाता प्राधिकारी को प्राधिकरण द्वारा संदत्त किए जाएंगे ।

7. **अन्य सदस्यों को संदेय भत्ते और फीस** :- अन्य सदस्य प्राधिकरण की बैठकों में हाजिर होने के लिए ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।

8. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. ए-35020/3/2003-प्रशा. I]

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव